

परिवहन मंत्री दामोदर रावत और सचिव राजकुमार ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी

छह शहरों में दो सौ नयी इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी

□ पटना, मुजफ्फरपुर, गयाजी, दरभंगा
भागलपुर और पूर्णिया में चलेगी बसें
संवाददाता, पटना

बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गयाजी, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में इसी माह इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू होगा. इनमें पटना में 150 तथा 50 बसों का परिचालन मुजफ्फरपुर, गया जी, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में होगा. वहीं, परिवहन विभाग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में बिहार के विभिन्न शहरों से परिचालन के लिए 149 एसी बसों की जल्द ही खरीद करेगा, ताकि अंतरराज्यीय बस सेवा का विस्तार हो सके. बुधवार

को परिवहन विभाग के मंत्री दामोदर रावत और सचिव राजकुमार ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. सचिव ने कहा कि राज्यभर में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने के लिए नयी नीति लागू कर दी गयी है. इसमें इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन की खरीद पर 10 हजार का अनुदान दिया जायेगा. एससी-एसटी वर्ग को 12 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा. इसी प्रकार इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को एक लाख तक का अनुदान दिया जायेगा. इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट का भी प्रावधान किया गया है.



यह है नयी सुविधाएं, जिससे वाहन चालकों को होगी राहत

: इ-चालान भुगतान के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम सेवा प्रारंभ की जा रही है. इसके माध्यम से ऑनलाइन इ-चालान जमा हो जायेगा. ऑनलाइन व्यवस्था में मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सहित अन्य सुविधाएं दी जायेगी.

बड़े पैमाने पर इ-वाहन चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे

वर्ष 2030 तक राज्य में नये वाहनों में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए राज्यभर में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे. इसके लिए भी अलग-अलग अनुदान का प्रावधान किया गया है. सचिव ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य तरह की सभी सेवाओं के लिए आवेदन अब कॉमन सर्विस सेंटर से भी किया जा सकेगा. इसके लिए जल्द ही नयी व्यवस्था विभाग शुरू करने जा रहा है.

एनएच और एसएच पर भी कटेगा चालान

शहरों से राष्ट्रीय और राज्यमार्ग पर भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब चालान कटेगा. इसकी व्यवस्था की जा रही है. इससे यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लग सकेगा. सचिव ने कहा कि ट्रैनों की तर्ज पर लोगों को यह भी जानकारी हो सकेगी, उनकी बस अभी कहाँ पर है और कितनी देर में कहाँ तक पहुंचेगी. इसको लेकर सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है. सचिव ने कहा पीपीपी मोड में बस पड़ाव का निर्माण होगा.